मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1829/717/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2015

प्रति,

समस्त जिला कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को बैंकों के माध्यम से पेंशन का सामयिक भुगतान.

राज्य शासन की सदैव अपेक्षा रही है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को देय पेंशन का सामयिक भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

2. विभिन्न पेंशनर्स संगठनों तथा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा मानव अधिकार आयोग एवं शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि बैंकों द्वारा पेंशनर्स को पेंशन स्थानान्तरण/पेंशन पुनरीक्षण/पेंशन भुगतान में विलंब हो रहा है.

3. अत: पेंशन भुगतान बैंकों के शाखा प्रमुखों से सतत् समन्वय स्थापित कर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पेंशन भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु जिला कोषालय अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाता है. कृपया संबंधित बैंक शाखाओं से नियमित संवाद स्थापित करने हेतु प्रतिमाह एक निश्चित तिथि को बैठक आयोजित कर पेंशन भुगतान संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.